राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांकः—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1627 / 2021 दिनांक :20.07.2021

श्रीमती नीतू रानी (RJ1086), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा (झुंझुनूं) को दिनांक 02.08.2021 से 28.01.2022 तक ***180*** दिवस का *मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान)* दिनांक 01.08.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री प्रतीक दाधीच (RJ1166), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी (झुंझुनूं) को श्रीमती नीतू रानी के उक्त ***मातृत्व अवकाश*** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ–साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा (झुंझुनूं) के पद का ***अतिरिक्त कार्यभार*** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा ***पदस्थापित/नियुक्त*** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्व निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. ***श्री प्रतीक दाधीच (RJ1166),*** अति. कार्यभार वाले न्यायालय में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate Week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे ।

आज्ञा से,

19.07.2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांकः—स्था.बी.2 (4)/74/2016/4650 दिनांक 20.07.2021

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं को उनके पत्रांक 4883 दिनांक 17.06.2021 के सन्दर्भ में ।
3. ***श्रीमती नीतू रानी*** (RJ1086), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा (झुंझुनूं)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा (झुंझुनूं)।
5. ***श्री प्रतीक दाधीच (RJ1166),*** सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी (झुंझुनूं)।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी (झुंझुनूं)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण—पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

20.7.2021

सहायक रजिस्ट्रार